

थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र से एक अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 59 पच्चे अवैध देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद :- थाना टीला मोड पुलिस व आबकारी द्वारा एक अभियुक्त को 59 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 389/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 02.10.2020 को थाना टीला मोड पुलिस द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति व रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर थे तो मुखबिर सूचना पर बंधला नहर के पास से एक व्यक्ति को 59 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा सन्तरा मार्का सहित ले जाते हुए समय करीब 19.45 बजे पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.नीटू पुत्र श्री लालाराम निवासी पंचशील कॉलोनी थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0-389/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

अभियुक्तगण के कब्जे से 59 पच्चे देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद किये गये।

थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र से एक अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 03 पेटी कुल 150 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद :- थाना टीला मोड पुलिस व आबकारी द्वारा एक अभियुक्त को 03 पेटी कुल 96 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 388/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 02.10.2020 को थाना टीला मोड पुलिस द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति व रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर थे तो मुखबिर सूचना पर भोपुरा तिराहे से एक व्यक्ति को 03 पेटी कुल 150 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का सहित ले जाते हुए समय करीब 16.40 बजे पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.दिलीप पुत्र श्री लक्ष्मण शाह निवासी किरायेदार फ्लैट पवित्र मिश्रा,डीएलएफ वर्धमान मोबाइल दुकान के सामने थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0-388/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

अभियुक्तगण के कब्जे से 03 पेटी 150 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद किये गये।



थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त मय 35 ग्राम अल्प्राजोलम नशीले पाउडर सहित गिरफ्तार

थाना साहिबाबाद द्वारा दिनांक 03.10.2020 को समय 06.15 बजे चैकिंग के दौरान शुलभ सौचालय से कदम की दूरी पर सर्विस रोड 20शालीमर गार्डन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद पर अभियुक्त साहिद S/0 निजामुद्दीन नि-0इकबाल कालोनी नियर गरिमा गार्डन PS टीला मोड गाजियाबाद को मय 35 ग्राम अवैध अल्प्राजोलम पाउडर सहित गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभि० उपरोक्त ने बताया कि मेरे पास अल्प्राजोलम नशीला पाउडर है। जिन्हे मै पार्को, रेलवे स्टेशनो आदि के पास बेचकर मुनाफा कमाता हूँ। बरामद अल्प्राजोलम पाउडर के संबंध मे लाईसेंस के बारे मे पूछा तो लाईसेंस नही पाया गया। जिसके संबंध मे थाना साहिबाबाद पर मु०अ०स० 1118/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम साहिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1-साहिद S/0 निजामुद्दीन नि-0इकबाल कालोनी नियर गरिमा गार्डन PS टीला मोड गाजियाबाद

मय 35 ग्राम नशीला अल्प्राजोलम पाउडर

बरामदगी का विवरण- 35 ग्राम अवैध नशीला अल्प्राजोलम पाउडर।



चार गौमांस तस्कर 40 किलो गौमांस तथा 730 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर मय 35 नशीली गोली एल्प्राजोलम के साथ

गिरफ्तार :- थाना भोजपुर पुलिस द्वारा गस्त/ चैकिंग के दौरान दिनांक 02-10-2020 को समय 17.30 बजे कस्बा फरीदनगर गेट से अभियुक्त 1.शहजाद पुत्र महर इलाही नि0 मौ0 कुरेशीयान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद 2.रिजवान पुत्र महरबान नि0 तेलीयों का मौहल्ला कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद 3.दानिश उर्फ सदर पुत्र फदे निवासी मौ0 कुरेशीयान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद 4.गुफरान पुत्र तौसीफ नि0 ग्राम पिपलहेडा थाना धौलाना जनपद हापुड को मय 40 किलो गौमांस तथा 730 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर मय 35 नशीली गोली एल्प्राजोलम व गौमांस ले जा रहे ऑटो बिना नम्बर सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0 405/20 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 तथा मु0अ0सं0 406/20 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम शहजाद उपरोक्त मु0अ0सं0 407/20 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम रिजवान उपरोक्त मु0अ0सं0 408/20 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम दानिश उर्फ सदर उपरोक्त तथा मु0अ0सं0 409/20 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम गुफरान उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त शहजाद उपरोक्त ने बताया कि ये मैं अपने साथियो 1.रिजवान पुत्र महरबान नि0 तेलीयों का मौहल्ला कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद 2.दानिश उर्फ सदर पुत्र फदे निवासी मौ0 कुरेशीयान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद 3.गुफरान पुत्र तौसीफ नि0 ग्राम पिपलहेडा थाना धौलाना जनपद हापुड के साथ मिलकर साजिद उर्फ बावला पुत्र साहिद नि0 फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद से गौवंश पशुओ के मांस को खरीदकर अलग अलग गलियों में घूमफिरकर बेचते जिससे हमें आर्थिक लाभ होता जिसे हम आपस मे बाँट लेते है । तथा अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से हम यह नशीला पाऊडर व नशीली गोलियां गलियो में घूम घूमकर बेचते है ।

अपराध कारित करने का तरीका: -

उपरोक्त प्रकरण में पूछताछ करने पर अभियुक्त शहजाद उपरोक्त ने बताया कि वह अपने साथियो के साथ मिलकर आर्थिक लाभ कमाने के लिए गौवंश मांस को खरीदकर मुनाफे पर आगे बेचते है । साथ – साथ नशीली गोलियो का पाउडर बनाकर बेचते है । जिससे हमे आर्थिक लाभ होता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. शहजाद पुत्र महर इलाही निबाद0कुरेशीयान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा 0मौ 0

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 405/20 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना भोजपुर, गा0बाद ।
मु0अ0सं0 406/20 धारा 8/21 NDPS ACT थाना भोजपुर, गा0बाद ।
मु0अ0सं0 417/17 धारा 328/511 भादवि थाना भोजपुर, गा0बाद ।

2. रिजवान पुत्र महरबान नि 0तेलीयों का मौहल्ला कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 405/20 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना भोजपुर, गा0बाद
मु0अ0सं0 407/20 धारा 8/21 NDPS ACT थाना भोजपुर, गा0बाद

3. दानिश उर्फ सदर पुत्र फदे निवासी मौ बाद0कुरेशीयान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा 0

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 405/20 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना भोजपुर, गा0बाद
मु0अ0सं0 408/20 धारा 8/21 NDPS ACT थाना भोजपुर, गा0बाद

4. गुफरान पुत्र तौसीफ नि 0ग्राम पिपलहेडा थाना धौलाना जनपद हापुड

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 405/20 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना भोजपुर, गा0बाद

मु0अ0सं0 409/20 धारा 8/21 NDPS ACT थाना भोजपुर, गा0बाद

नाम पता फरार अभि0:-

5. साजिद उर्फ बावला पुत्र शाहिद नि0 करुबा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद (वांछित)

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 405/20 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना भोजपुर, गा0बाद

मु0अ0सं0 74/20 धारा 8/21 NDPS ACT थाना भोजपुर, गा0बाद

मु0अ0सं0 282/17 धारा 379/411 भादवि थाना भोजपुर गा0बाद ।

मु0अ0सं0 445/18 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना भोजपुर, गा0बाद ।

मु0अ0सं0 367/17 धारा 411 भादवि थाना इंचौली जिला मेरठ ।

मु0अ0सं0 366/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना इंचौली जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

(1) 40 किलो गौमांस (जो बाद जांच पशु चिकित्सक के निकट निर्देशन में नियमानुसार दबाया गया ।)

(2) 730 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजलाम ।

(3) 35 नशीली गोली एल्प्रोजोलम (प्रतिबन्धित) ।

(4) गौमांस वाहक ऑटो बिना नम्बर सील ।



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 35 पक्वों नाजायज देशी शराब पलियाला (पंजाब) मार्का के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार :-

थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 02/10/20 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त सलमान को 35 पक्वे नाजायज देशी शराब पलियाला (पंजाब) मार्का के साथ धारा स्कूल को पीछे थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1-सलमान पुत्र इलियास, नि. केला खेडा निकट उमर मस्जिद के पास थाना विजयनगर, गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 1295/20 धारा 60/63 Ex. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम सलमान पुत्र इलियास, उपरोक्त

बरामदगी का विवरण

1- 35 पक्वे अवैध शराब पलियाला (पंजाब) मार्का अभियुक्त सलमान पुत्र इलियास, से बरामद सम्बन्धित मु.अ.स. 1295/20



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद चाकू 01 अदद छुरी

नाजायज बरामद :- थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 03/10/20 को चैकिंग के दौरान चोरी की योजना बनाते हुए 03 शातिर अभियुक्त 1. सिराज 2. सरकत अली 3. अफताब को 02 अदद चाकू 01 अदद छुरी के साथ DPS स्कूल के पास थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- सिराज पुत्र स्व0 हसनदीन नि. चाँद मारी झुग्गी झोपड़ी प्रताप बिहार थाना विजयनगर, गा.बाद
- 2- सरकत अली पुत्र मौ0 जलाल नि. चाँद मारी झुग्गी झोपड़ी प्रताप बिहार थाना विजयनगर, गा.बाद
- 3- अफताब पुत्र मौ0 इब्राहिम नि. चाँद मारी झुग्गी झोपड़ी प्रताप बिहार थाना विजयनगर, गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

सिराज पुत्र स्व0 हसनदीन नि. चाँद मारी झुग्गी झोपड़ी प्रताप बिहार थाना विजयनगर, गा.बाद

- 1- मु.अ.स. 1297/20 धारा 399,401 IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद,
- 2- मु.अ.स. 1298/20 धारा 4/25 A.ACT थाना विजय नगर गाजियाबाद

सरकत अली पुत्र मौ0 जलाल नि. चाँद मारी झुग्गी झोपड़ी प्रताप बिहार थाना विजयनगर, गा.बाद

- 1- मु.अ.स. 1297/20 धारा 399,401 IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद,
- 2- मु.अ.स. 1299/20 धारा 4/25 A.ACT थाना विजय नगर गाजियाबाद

अफताब पुत्र मौ0 इब्राहिम नि. चाँद मारी झुग्गी झोपड़ी प्रताप बिहार थाना विजयनगर, गा.बाद

- 1- मु.अ.स. 1297/20 धारा 399,401 IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद,
- 2- मु.अ.स. 1300/20 धारा 4/25 A.ACT थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1. अभियुक्त सिराज से अदद चाकू 2. अभि0 सरकत अली से एक अदद चाकू 3. अभि0 अफताब से एक अदद छुरी नाजायद बरामद



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 28 पक्वों नाजायज देशी शराब हरियाण मार्का के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना

विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 02/10/20 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त शिशपाल को 28 पक्वे नाजायज देशी शराब हरियाण मार्का के साथ तिगरी गोल चक्कर के पास थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- शिशपाल पुत्र कुडे सिंह, नि. आदर्श कालोनी बिहारी पुरा थाना विजयनगर, गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 1296/20 धारा 60/63 Ex. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम शिशपाल पुत्र कुडे सिंह उपरोक्त

बरामदगी का विवरण

1- 28 पच्चे अवैध शराब हरियाण मार्का अभियुक्त शिशपाल पुत्र कुडे सिंह से बरामद सम्बन्धित मु.अ.स. 1296/20



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 100 पच्चे नाजायज देशी शराब हरियाण मार्का के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 02/10/20 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त शकिल को 100 पच्चे नाजायज देशी शराब हरियाण मार्का के साथ धारा स्कूल को पीछे थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- शकिल पुत्र रहीश, नि. हाल पता स्कूल को पीछे थाना विजयनगर, गा.बाद स्थाई पता ग्राम भोजपुरा थाना कोतवाली नगर अलीगढ़

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 1294/20 धारा 60/63 Ex. Act. व 504 IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम शकिल पुत्र रहीश, उपरोक्त

बरामदगी का विवरण

1- 100 पच्चे अवैध शराब हरियाण मार्का अभियुक्त शकिल पुत्र रहीश, से बरामद सम्बन्धित मु.अ.स. 1294/20



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही पूर्वक गाडी की सीट पर लाइसेंसी रिवाल्वर रखकर सडक किनारे गाडी मे बैठकर शराब पीते नशे की हालत मे 02 व्यक्ति गिरफ्तार :- थाना कोतवाली नगर टीम द्वारा दिनांक: 03-10-2020 को गाडी स्विफ्ट कार न0- UP14BY7102 को एचडीएफसी बैंक के पास जीडी रोड पंचवटी के बाहर सडक किनारे सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकडे गये और चैक किया तो अभियुक्त शराब के नशे मे थे और गाडी स्टार्ट करके चलाने का प्रयास कर रहे थे गाडी की खिडकिया खुली हुई मिली और गाडी की पिछली सीट पर लाइसेंसी रिवाल्वर डाले हुये पाये गये को गिरफ्तार किया गया। लाइसेंसी संदीप सोलंकी द्वारा लाइसेंसी शर्तों का दुरुपयोग कर घोर लापरवाही बरती गयी। जिसके लाइसेंसी रिवाल्वर को कब्जे पुलिस लिया गया। और गाडी के कोई प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर गाडी को मोटर व्हीकल एक्ट मे सीज किया गया। लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

अपराध पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगणों से तसल्ली देकर पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगणों के एक साथ बताया वह शराब पीने के आदि है आज रात्रि मे परिजनो को बिना बताये सडक किनारे गाडी लगाकर शराब पी रहे थे। ज्यादा नशा होने के कारण गाडी नही चल पा रही थी। और अपने पास मौजूद रिवाल्वर .32 बोर मय 02 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस लाइसेंसी होना बताया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. संदीप सोलंकी पुत्र सत्यपाल सोलंकी निवासी 139 पंचवटी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष
2. विशाल शर्मा पुत्र वेदप्रकाश निवासी 315 बजरिया थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 43 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नासिर अली:-

1. निल/2020 धारा 34 पुलिस एक्ट व धारा 3/181 /192/196/185/207 एमवी एक्ट मय गाडी सीज

बरामदगी का विवरण:-

- 1- लाइसेंसी रिलाल्बर H8595 मय 02 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस .32 बोर
- 2- गाडी स्विफ्ट कार न0- UP14BY7102



थाना लोनी क्षेत्र में नशीला पाउडर एल्प्राजोलम की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 100 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर के साथ शक्को के कब्रिस्तान के बगल वाली गली निठौरा रोड जमालपुरा चौकी क्षेत्र अशोक विहार से दिनांक 02.10.2020 समय 22.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं यह नशीला पाउडर की पुड़िया बनाकर बेचता हूँ। जिससे मुनाफा कमाकर अपना खर्चा चलाता हूँ। अभी मैं यह नशीला पाउडर लेकर बेचने जा रहा था कि तभी आपने पकड़ लिया। अभियुक्त का यह जुर्म धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY):-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं थाना लोनी क्षेत्र में एल्प्राजोलम नशीला पाउडर की पुड़िया बनाकर बेचता हूँ। जिससे मेरा खर्चा चल जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0 -

नसीब बेग उर्फ सिम्मो पुत्र इस्लाम बेग नि0 हाजी नफीस की डेयरी के पास जमालपुरा थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त नसीब बेग उर्फ सिम्मो के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0सं0-817/2020 धारा 8/21 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 100 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज बरामद



थाना लोनी क्षेत्र में नशीला पाउडर एल्प्राजोलम की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना लोनी पुलिस द्वारा एक

अभियुक्त को 100 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर के साथ सीमेंट रोड रेल विहार कट हल्का चौकी डीएलएफ दिनांक 03.10.2020 समय 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं यह नशीला पाउडर की पुड़िया बनाकर बेचता हूँ। जिससे मुनाफा कमाकर अपना खर्चा चलाता हूँ। अभी मैं यह नशीला पाउडर लेकर बेचने जा रहा था कि तभी आपने पकड़ लिया। अभियुक्त का यह जुर्म धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY)-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं थाना लोनी क्षेत्र में एल्प्राजोलम नशीला पाउडर की पुड़िया बनाकर बेचता हूँ। जिससे मेरा खर्चा चल जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभि० –

सुहैल पुत्र सलीम निवासी गली न० 4 शौरुम के नीचे प्रेमविहार डीएलएफ थाना लोनी गा०बाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

मु०अ०सं०-818/2020 धारा 8/22 NDPS Act थाना लोनी गा०बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 100 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज बरामद



थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद चाकू सहित गिरफ्तार:- थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभि० को एक

अदद चाकू के कृष्णा चौक के पास हल्का चौकी डीएलएफ से दिनांक 03.10.2020 समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं डराने धमकाने के लिए यह चाकू अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी आपने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त का जुर्म धारा 4/25 आयुध अधि० की हद को पहुंचता है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं लोगों को डराने धमकाने के लिए अपने साथ यह चाकू रखता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभि०-

अंकुश कश्यप पुत्र महेश कश्यप नि० इतवार बाजार चमन विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0सं0-819/2020 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद चाकू नाजायज



थाना कविनगर पर दो नफर अभि0 गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 67 पक्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद :-

थाना कविनगर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.10.2020 को समय 01.40 बजे जागृति बिहार के ठेके के पास से अभि0 (1) सोनू चौधरी पुत्र रमेश चौधरी नि0 गली न0 03 मल्लपुरा जिला दामोह म0 प्र0 हाल पता जागृति बिहार सै023 संजय नगर (2) रन्जीत पुत्र राम सिंह नि0 ग्राम बन्डा थाना बन्डा जिला सागर म0 प्र0 को क्रमशः 33 पक्वे तथा 34 पक्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज के गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) सोनू चौधरी पुत्र रमेश चौधरी नि0 गली न0 03 मल्लपुरा जिला दामोह म0 प्र0 हाल पता जागृति बिहार सै023 संजय नगर

(2) रन्जीत पुत्र राम सिंह नि0 ग्राम बन्डा थाना बन्डा जिला सागर म0 प्र0

बरामदगी -

67 पक्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 1386/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 बनाम सोनू चौधरी
2. मु0अ0सं0 1387/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 बनाम रन्जीत

NCR क्षेत्र में अवैध शराब सप्लाई करने वाले गिरोह का 01 शातिर तस्कर गिरफ्तार, 04 पेटी

शराब बरामद

कार्यवाही:- थाना इंदिरापुरम, की टीम व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए दिनांक 02.10.2020 को थाना इंदिरापुरम के शनि चौक के पास झुग्गी-झोपडी से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजू त्यागी को अवैध 04 पेटी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। विस्तृत पूछताछ करने पर अभियुक्त न बताया कि हम हरियाणा व उत्तराखंड से सस्ते दामों पर भाराब खरीदकर लाते हैं तथा उत्तर प्रदेश में उचित दामों पर झुग्गी-झोपडी व मलीन बस्तियों में बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1:- राजू त्यागी पुत्र दयानन्द त्यागी निवासी महेन्द्र चक्की के पास ग्राम मकनपुर थाना इंदिरापुरम गा0बाद

अपराध करने का तरीका:-

दिनांक 02.10.2020 को चौकी प्रभारी अभयखंड श्री सत्यवीर सिंह व आबकारी निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह हयांकी द्वारा मुखबिर की सूचना पर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए शनि चौक के पास बनी झुग्गी-झोपडी से अभियुक्त राजू त्यागी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 4 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अभियुक्त शातिर किस्म का तस्कर है जो अन्य प्रान्तों की शराब को उत्तर प्रदेश में सस्ते दामों पर बेचकर उत्तर प्रदेश राजस्व को भारी छति पहुंचा

रहे हैं अभियुक्तगण हरियाणा व अरुणाचल प्रदेश से सस्ती शराब खरीदकर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने का कार्य काफी दिनों से कर रहा है।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:-

1:- 04 पेटी अग्रेजी भाराब (कुल-180 पब्बे)

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	1708 / 2020	60 / 63 आबकारी अधिनियम	इंदिरापुरम	गाजियाबाद



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पंजीकरण मु0अ0सं0- 667/2020 धारा 323,504,307,498 ए भादवि व 3/4 दहेज एक्ट में

वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना कोतवाली टीम द्वारा दिनांक: 03-10-2020 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 667/2020 धारा 323,504,307,498 ए भादवि व 3/4 दहेज एक्ट में वाँछित अभियुक्त फिरोज उर्फ सोनू को मुखबिर की सूचना पर जस्सीपुरा कट के पास से गिरफ्तार किया गया।

अपराध पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त से तसल्ली देकर पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मेरा भाई व उसकी पत्नी का काफी दिनों से लड़ाई-झगडा चल रहा था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- फिरोज उर्फ सोनू पुत्र इकरामुद्दीन निवासी इस्लाम नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्तक नासिर अली:-

2. मु0अ0सं0- 667/2020 धारा 323,504,307,498 ए भादवि व 3/4 दहेज एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से 250 ग्राम नशीला पाउडर नाजायाज बरामद:-

थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 03-10-20 को राणा चौक रामपार्क ट्रोनिकासिटी से समय 09.00 बजे अभियुक्तगण 1.आतिस कुमार पुत्र बिट्टु राम नि0 एफ 578 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद 2.कमल सिंह पुत्र राजबीर नि0 G 3342 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद को मय 250 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज के गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभि0गण ने पूछताछ से बताया कि हम लोग नशीला पाउडर को छोटी छोटी पोलोथीन में भरकर आने जाने वाले लोगो को बेचकर पैसे कमाते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त /आपराधिक इतिहास-

1. आतिस कुमार पुत्र बिट्टु राम नि0 एफ 578 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद

मु0अ0सं0 595/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

2. कमल सिंह पुत्र राजबीर नि० G 3342 रामपार्क थाना ट्रानिका सिटी गा०वा०
मु०अ०सं० 596/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रानिकासिटी गा०वा०
बरामदगी का विवरण - 250 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज वरामद



चोरी की गई मोटर साईकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में चलाये गये वाहन चोरों के विरुद्ध अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में एक वाहन चोर को चोरी की गई मोटर साईकिल सहित दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – थाना खोडा पर पंजीकृत मु०अ०स० 856/2018 धारा 379/411/482 भादवि में अभियुक्त रवि पुत्र दयानन्द नि० सी 29 गली नं० 1 मुल्ला कालोनी भडौली थाना गाजीपुर दिल्ली को कल दिनांक 02.10.2020 को चोरी गई मोटर साईकिल पेशन प्रो नं० DL7SBN4152 सहित उ०नि० उदयवीर सिंह द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

गिर० अभियुक्त का नाम पता

रवि पुत्र दयानन्द नि० सी 29 गली नं० 1 मुल्ला कालोनी भडौली थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु०अ०सं० 856/2018 धारा 379/411/482 भादवि थाना खोडा गा०बा०



थाना मसूरी पुलिस द्वारा धारा 323/324/326/504/506 भादवि का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :- दि० 03.10.2020 को थाना मसूरी पुलिस टीम को उस समय सफलता मिली जब 01 नफर वांछित अभियुक्त आमिर पुत्र फजरुद्दीन उर्फ अजरुद्दीन नि. ग्राम भूङगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को भूङगढी बम्बा से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका – दिनांक 06.04.2020 को अभि० आमिर पुत्र फजरुद्दीन उर्फ अजरुद्दीन नि. ग्राम भूङगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद द्वारा अपने भाईयों के साथ मिलकर द्वितीय अपने ही गांव के युसुफ पुत्र मैनुद्दीन के साथ मारपीट की गई थी तथा वादी के साथी नाजिम की दो उंगलिया काट दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० मु०अ०स० 233/2020 धारा 323/324/326/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था।

नाम पता अभियुक्त -

(1) आमिर पुत्र फजरुद्दीन उर्फ अजरुद्दीन नि. ग्राम भूङगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 230/2020 धारा 323/324/326/504/506 भादवि

